(5)

[16/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1849]

परिशिष्ट "अ"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1849

द्वारा- माननीय विधायक श्री विजयपाल सिंह

दिनांक 12.12.2023 को फरियादी सरवन रघुवंशी द्वारा आरोपीगण छोटेलाल रघुवंशी, पवन रघुवंशी, दीपक रघुवंशी, विनोद उर्फ लल्लन रघुवंशी के विरूद्ध पुरानी रंजिश को लेकर ट्रेक्टर से टक्कर मारने, गाली-गलोच कर, घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट की थी जिस पर थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम में अप0क0 778/23 धारा 279, 337, 452, 294, 323, 506, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दौराने विवेचना दिनांक 13.12.2023 को फरियादी व पीडित एवं साक्षीयों के कथन लेख किये गये थे तथा फरियादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। प्रकरण में घायल व पीडितों के ईलाज संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये। प्रकरण में दिनांक 19.12.2023 को घटना में घायल घनश्याम रघुवंशी के कथन लेख किये गये जिसमें आये साक्ष्यों के आधार पर धारा 307 भादवि का इजाफा किया गया। प्रकरण में दिनांक 18.01.2024 को आरोपीगण पवन रघुवंशी, दीपक रघुवंशी, विनोद उर्फ लल्लन रघुवंशी एवं दिनांक 19.01.2024 को आरोपी छोटेलाल रघुवशी को गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारशुदा आरोपियों से घटना में प्रयुक्त ट्रेक्टर, लोहे का पाईप व बास के लट्ठ जप्त किये गये तथा आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया था। आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था। प्रकरण विवेचनाधीन है।

अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, बी (1) भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

(5)

परिशिष्ट "ब"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1849

द्वारा- माननीय विधायक श्री विजयपाल सिंह

चूँकि विधानसभा प्रश्न में आवेदक घनश्याम रघुवंशी का उल्लेख किया गया है जबकि थाना सोहागपुर के अपराध क्रमांक 778/23 धारा 279, 337, 452, 294, 323, 506, 34 भादवि के फरियादी सरवन रघुवंशी है, जो घनश्याम रघुवंशी के परिवार में छोटे भाई (चचेरे भाई) है इसलिए तत्समय प्रथम सूचना रिपोर्ट सरवन रघुवंशी की सूचना पर लेख की गई थी।

आवेदन पत्र का शिकायतकर्ता घनश्याम रघुवंशी न होकर उनकी पत्नि सावित्री रघुवंशी के द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय नर्मदापुरम में एक शिकायती आवेदन पत्र घटना दिनांक 12.12.2023 का उल्लेख करते हुये प्रस्तुत किया था। उक्त शिकायत थाना सोहागपुर के अप0 क्र0 778/2023 धारा 279, 337, 452, 294, 323, 506, 34 भादवि से संबंधित होने से उक्त शिकायत आवेदन पत्र अपराध में संलग्न कर विवेचना के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 307 भादवि इजाफा किया गया है एवं आरोपी 1- छोटेलाल पिता माधोसिंह रघुवंशी ग्राम नवलगांव को दिनांक 19.01.2024, 2- पवन पिता माधोसिंह रघुवंशी को दिनांक 18.01.2024, 3- दीपक पिता माधोसिंह रघुवंशी दिनांक 18.01.2024, एवं 4- विनोद उर्फ लल्लन पिता चंदन सिंह रघुवंशी को दिनांक 18.01.2024 को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त ट्रेक्टर को जप्त किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल.

30/1
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner